रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223156
CG-DL-E-18112020-223156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 594] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 725(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, रांची (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी** (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ।	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) ।	लागू नहीं होता ।	चालीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के

					लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। (2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी संगठन में प्रशासन, लेखा और स्थापना कार्य में पर्यवेक्षण स्तर में सात वर्षों का अनुभव। **वांछनीय:** सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित): (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी संगठन के अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव (संबंधित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. निदेशक, (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची। -सदस्य;	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए.12018/78/2017-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020.

G.S.R.725(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Psychiatry, Ranchi (Chief Administrative Officer) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Chief Administrative Officer** in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, **Chief Administrative Officer** (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

   Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

2. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

3. **Disqualification.–** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

5. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and

other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Administrative Officer.	1* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700).	Not applicable.	Not exceeding forty years. (Relaxable for the Government servants upto age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Bachelor degree in any subject from a recognised University or institution. 2. Seven years experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity from the Central Government or State Governments or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institution or semi-Government organisation. Desirable: Knowledge of Government rules and regulations.	Not applicable.	One year.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institution: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100 - 177500) or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience proposed for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of the receipt of applications.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Secretary (concerned), Ministry of Health and Family Welfare- Chairman; 2. Deputy Director General (concerned), Directorate General of Health Services - Member; 3. Director (concerned), Directorate General of Health Services – Member; 4. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. A.12018/78/2017-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.